

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 92/19 वाद

GCMS NO 2019/00301

पूर्व प्रकरण संख्या : 169/13

1. उदयपुर हड्डी चर्म उत्पादन सहकारी समिति आवरीमाता कॉलोनी उदयपुर राजस्थान जरिये मंत्री कन्हैयालाल मोची पिता श्री चुन्नीलाल जी मोची निवासी आवरी माता कॉलोनी, उदयपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1. श्री मोहन पिता स्व० उदा मेघवाल, निवासी डाकनकोटडा फला मेवडी, तहसील गिर्वा, उदयपुर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:— श्री नरेश जणवा, अधिवक्ता वादी

श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 9.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्थान है और उसका कार्य चर्म से हड्डी चर्म का कार्य करती है तो अनुसूचित जाति की संस्थान होकर वादी कन्हैयालाल उक्त संस्था के मंत्री है तथा संस्था द्वारा उसे अपनी सम्पति के रख रखाव हेतु व वाद करने हेतु अधिकृत कर रखा है। वादी संस्था द्वारा दिनांक 19.7.2003 को मौजा डाकनकोटडा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 1355 रकबा 0.0300 हैक्टर, 1356 रकबा 0.0050 हैक्टर आराजी संख्या 1357 रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि नाथीया पिता रामा मेघवाल से क्रय की तब से एक मात्र तन्हा खातेदार वादी संस्था होकर काबिज काश्त कर रही है।



उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात वादी संस्थान अपनी पूरी देखभाल करने में समक्ष नहीं थी। जाने आने में समय लगता था तथा भूमि संस्था कार्यालय से दूर होने से वादी संस्थान ने अपनी भूमि की देखरेख करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के निवेदन पर कि 'मुझे संस्थान की भूमि में स्थित मकान/झोपडा जो पूर्व खातेदार नाथीया द्वारा बनाया गया था उसमें रहने दिया जाये और मैं उक्त संस्थान की भूमि की देख रेख करता रहूंगा और साफ सफाई करता रहूंगा,' संस्थान ने आम सहमति से यह तय किया कि प्रतिवादी संख्या 1 सम्पत्ति की देखरेख करेगा और उसके रहने का किराया नहीं लिया जाएगा। जिस पर संस्थान ने बिना किसी किराये के प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि की देख रेख के लिए नियुक्त किया ओर उसे उक्त मकान में रहने के लिए कह दिया तब से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मकान में सम्पत्ति के केयर टेकर के रूप निवास कर रहा है।

कालान्तर में जब जमीनों की किमते बढ़ने लगी तो प्रतिवादी संख्या 1 को लोगो ने भडकाया तो उसने अपने आप को उक्त भूमि का मालिक बताते हुए एक दावा आप न्यायालय में पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 66/08 थे जिसमें वादी संस्था द्वारा जवाब भी पेश किया ओर जब प्रतिवादी वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ तो अपनी गलती का अहसास हुआ इसलिए उसने पुनः दावा दिनांक 13.05.2010 को नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करवा दावा खारीज करवा दिया और संस्थान से निवेदन किया कि मेरे से गलती हो गई मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, लोगों के बहकावे आ गया इसलिए दावा कर दिया जमीन संस्थान की है और संस्थान की ही रहेगी। मेरे को मत निकालो अब निकट भविष्य में कभी मैं ऐसी गलती को नहीं दोहराऊंगा जिस पर संस्थान ने उसको उक्त मकान में पुनः रहने के लिए दे दिया और वह संस्थान की सम्पत्ति की देखरेख करता रहा।

विगत कुछ समय से प्रतिवादी संख्या 1 पुनः संस्थान की भूमि को अपनी बताने लगा और भूमि की सही देखरेख भी नहीं कर रहा है और संस्थान का एक झोपडा उसके द्वारा गिरा दिया गया ओर उसके केलु डांडे उसके द्वारा बेच दिये गये और उसके द्वारा लोगो को बता रहा है कि उक्त भूमि मेरी है और मैं इसको बेच रहा हूं जिसकी जानकारी संस्थान को हुई तो संस्थान द्वारा उसे ऐसा करने से मना किया परन्तु वह बाज नहीं आया और उसे संस्थान की भूमि से हटने के लिए कहा तो मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो, मैं मकान खाली नहीं करूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। लाख समझाइस के उपरान्त वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 20.04.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संस्थान के एक झोपडे को गिरा दिया और उसमें स्थित केलु डांडे ले गया और संस्थान के स्वत्व को मानने से इनकार कर दिया तब से प्रारम्भ होकर लगातार व अनवरत रूप से जारी है, इसलिए संस्थान

को मजबूर होकर प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त वाद पेश करना पडा। प्रतिवादी संख्या 2 भूमि स्वामी होने से उसे प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया है।

प्रतिवादी 1 का उक्त भूमि में कोई हित स्वत्व अधिकार नहीं है, व संस्थान की तरफ से भूमि की देखभाल करने के लिए रखा गया था और वह संस्थान की भूमि को हडपने के लिए आतुर हो गया है इसलिए उसका कोई विधीक अधिकार नहीं है कि वह संस्थान की भूमि पर बिना संस्थान की इच्छा के निवास करे।

अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 को वाद पत्र की पैरा संख्या 2 की उक्त भूमि में स्थित झोपडे से बेदखल कराया जावे और उसका कब्जा वादी संस्थान को दिलाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की भूमि में स्थित झोपडे को गिरावे नहीं, उसके केलू डांडा नहीं हटावे, झोपडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे और न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे संस्थान को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा हो और उसकी किमत कम हो। उक्त कार्य न स्वयं करे और न ही किसी नौकर चाकर या एजेन्ट के मार्फत ही करावे।

प्रतिवादी 1 द्वारा बाजवुद सूचना के जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिससे दिनांक 20.3.14 को उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए उसके जवाब के अवसर बंद किये गए एवं प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया। दिनांक 10.9.2014 को वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया गया एवं उक्त जवाब को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया किन्तु उक्त दिनांक को प्रकरण सुनवाई हेतु नियत नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र आदेशिका पर नही लिया गया एवं आगामी सुनवाई दिनांक 9.10.14 को भी प्रार्थना पत्र एवं जवाब आदेशिका पर नहीं लिया जाकर वादी की ओर से **PW1** श्री कन्हैयालाल एवं **PW2** श्री सज्जनसिंह के शपथ पत्र पेश किये गए।

वादी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व वाद प्रकरण संख्या 66/08 को तलब कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे प्रकरण 66/08 तलब किया जाकर पत्रावली संलग्न किया गया। दिनांक 9.1.17 को वादी साक्ष्य कन्हैयालाल के शपथ पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण कर बयान कलमबद्ध करवाये गए। दिनांक 9.3.17 को वादी साक्ष्य **PW3** राधेश्याम एवं **PW4** मीठालाल से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह कर बयान कलमबद्ध कराये गए। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा राजस्व ग्राम डाकनकोटड़ा, तहसील गिर्वा उदयपुर की नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 आराजी संख्या 1355 से 1357 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2, रजिस्टर्ड एडी की फोटो प्रति प्रदर्श-3, संलग्न पत्रावली प्रकरण संख्या 66/08 की आदेशिका प्रदर्श-5, दावा प्रदर्श-6, जवाब

दावा प्रतिवादी 1 द्वारा प्रदर्श-7, जवाब दावा प्रतिवादी 2 द्वारा प्रदर्श-8, नमान्तरण नकल प्रदर्श-9, जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श-10 है। दिनांक 19.4.17 को वादी की ओर से PW5 साक्ष्य गोविन्दराम का शपथ पत्र पेश किया गया किन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लम्बे समय से जिरह नहीं करने से उनके जिरह अवसर बन्द किये जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई।

दिनांक 11.12.17 को प्रतिवादी साक्ष्य DW1 मोहनलाल, DW2 जमानाबाई, DW3 सज्जनबाई के शपथ पत्र पेश किये गए। दिनांक 29.01.18 को वादी अधिवक्ता द्वारा मोहनलाल के शपथ पत्र पर जिरह कर बयान कलमबद्ध कराये गए एवं दिनांक 19.2.18 को जमानाबाई के शपथ पत्र पर जिरह की गई तथा 15.3.18 को सज्जनबाई के शपथ पत्र पर जिरह पूर्ण की गई। प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से दिनांक 09.05.19 को प्रतिवादी के साक्ष्य अवसर बंद किये गए।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लिखित बहस भी मय रूलिंग पेश कर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी संस्थान द्वारा दिनांक 19.07.2003 को नाथीया पिता श्री रामा से खरीदी गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी 1 को केयरटेकर के रूप में रखा गया एवं उक्त भूमि पर बने मकान में भूमि की देखभाल के बदले बिना किराये रहने दिया गया। जिस पर प्रतिवादी ने पहले भी अन्य लोगों के बहकावे में आकर भूमि पर अपना अधिकार बताते हुए एक दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में वादी संस्थान के विरुद्ध पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 66/08 वाद है। उक्त वाद प्रकरण में वादी संस्थान की ओर से जवाब मय प्रतिदावा पेश किया जाने के पश्चात दिनांक 13.5.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अधिवक्ता से "NO INSTRUCTION" प्लीड करा दावा खारिज करा दिया गया। उक्त प्रतिदावे पर न तो कोई आदेश पारित किया गया, ना हि दावा मेरिट्स पर निर्णित किया गया। प्रतिवादी 1 ने दावा खारिज होने के बाद वादी संस्थान के समक्ष अपनी भूल स्वीकार कर भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने का निवेदन किया जिससे वादी संस्थान द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई, किन्तु अब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पुनः संस्थान की भूमि पर अपना अधिकार होना जाहिर करने से वादी संस्थान द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि संस्थान की क्रय शुदा भूमि होकर प्रतिवादी मात्र केयर टेकर के रूप में रह रहा था जिससे उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को वादी की क्रय शुदा भूमि से बेदखल कराया जावे और कब्जा वादी संस्थान को दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ऐसा कोई कार्य न करे जिससे संस्थान को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा हो। उक्त कार्य न स्वयं करे और न ही किसी नौकर चाकर या एजेन्ट के मार्फत ही करावे।

दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया गया कि उदयपुर चर्म हड्डी सहकारी समिति की ओर से कन्हैयालाल अधिकृत नहीं है, उनके द्वारा संस्थान का कोई अधिकृत पत्र पेश नहीं किया गया है। जिससे उक्त वाद प्रस्तुत करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी 1, उक्त भूमि पर वादी संस्थान के भूमि खरिदने से पूर्व से ही काबिज होकर निवासरत है। वादी संस्थान द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कभी भी नौकरी पर नहीं रखा गया। साक्ष्य वादी जिरह के दौरान पी0 डब्ल्यू0 1 कन्हैयालाल द्वारा स्वयं भी यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने मोहनलाल को नौकरी पर नहीं रखा है जबकि दावे में नौकरी पर रखे जाना अंकित किया है इसी प्रकार शपथ पत्र की कलम संख्या 5 में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचने का कथन किया है जबकि जिरह में नहीं बेचना बताया है इस प्रकार विरोधाभासी तथ्यों के प्रकट होने से वादी का वाद किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया कि वादी की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में पूर्व प्रकरण संख्या 66/08 में जब प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था तो वर्ष 2010 में प्रकरण के खारिज हो जाने के पश्चात वादी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अपने प्रतिदावे को रिस्टोर क्यों नहीं कराया गया ? तीन वर्ष बाद उक्त प्रतिदावे में चाही गई दाद को ही प्राप्त करने के हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है जो लिमिटेशन के बाहर होने से विधी द्वारा वर्जित है एवम् सिविल प्रकिया संहिता की धारा 10 अनुसार भी जब एक दावा पूर्व में विचाराधीन हो तो समान विषय वस्तु का दूसरा दावा प्रस्तुत किया जाना विधि द्वारा वर्जित है अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत दृष्टांत का अवलोकन किया गया। हम प्रतिवादी अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि सिविल प्रकिया संहिता की धारा 10 अनुसार जब एक दावा पूर्व में विचाराधीन हो तो समान विषय वस्तु का दूसरा दावा प्रस्तुत किया जाना विधि द्वारा वर्जित है, किन्तु उक्त सभी तर्को को उजागर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भ में ही किया जाना चाहिये था, अब अन्तिम बहस के समय उक्त आधार पर दावा खारिज किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में न्यायपूर्ण निर्णय हेतु दोनो ही दावों में अंकित तथ्यों को समेकित रूप से देखा जाना न्यायोचित प्रतित होता है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में भी प्रतिवादी ने जवाब अवसर बन्द होने के पश्चात जवाब दावा रिकोर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किया था किन्तु सेहवन से उक्त प्रार्थना पत्र रिकोर्ड पर नहीं लिया जाना प्रतीत होता है जिससे जवाब दावे को भी देखा जाना न्यायोचित है इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दावे, जवाब दावे, जिरह एवं दस्तावेजों तथा पूर्व वाद 66/08 का समग्र अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने वादोत्तर में वादीगण के वाद का खण्डन करते हुए यह कथन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात पर केवल मात्र प्रतिवादी 1 का आधिपत्य है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि आज दिनांक तक किसी भी व्यक्ति को अन्तरित नहीं की है ना ही विक्रय रहन आदि रखी है इस भूमि पर वादी का कतई कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं है तथा यह भूमि उत्तरदाता प्रतिवादी के ही स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। वादी से प्रतिवादी ने कभी कोई झगडा या गाली गलोच नहीं की वरन् प्रतिवादी अपने स्वामित्व एवं अपने कब्जे की भूमि पर शान्तिपूर्ण रूप से काबिज था, किसी नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण ने जबरदस्ती प्रतिवादी को बेदखल करने का प्रयास किया तथा उसकी कच्ची कोट तथा थूअर की बाड जबरदस्ती तोड कर फैंक दी, जिसका उत्तरदाता प्रतिवादी ने प्रतिकार किया तथा प्रतिवादी ने निवेदन किया कि उसे उसकी वैध रूप से आधिपत्य की भूमि से बेदखल नहीं किया जाये तो वादीगण ने अपने असामाजिक तत्व साथियों से मीली भगत कर वादी के साथ गम्भीर मारपीट कर डाली यहीं नहीं प्रतिवादी एक कम पढा लिखा तथा विकलांग व्यक्ति है जो कि ढंग से चल फिर नहीं पाता है, को पुलिस अधिकारियों से मिलिभगत कर जबरदस्ती पाबन्द करवा दिया एवं यह धमकी तक दे डाली कि यदि प्रतिवादी ने उक्त भूमि का आधिपत्य वादी को सिपूद नहीं किया तो मैं उसे जेल में मरते दम तक बन्द करवा दुंगा। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे। वादी को निर्देशित कराया जावे कि वह प्रतिवादी के विरुद्ध अनर्गल दावे प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत नहीं करे व उसे हैरान परेशान न करे।

प्रकरण में जवाबदावा रिकार्ड पर नहीं आने से तनकीयात कायम नहीं की हुई।

प्रकरण में संलग्न पूर्व वाद प्रकरण संख्या 66/08 की पत्रावली के दावे प्रदर्श-6, अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त प्रकरण में भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मौजा डाकन कोटडा की उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना दर्शाया गया है एवं विक्रेता खातेदार नाथीया की पुत्री रतनी को भी पक्षकार बनाया गया जाकर यह कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा श्री नाथीया पिता रामा के, परिवार के बडे सदस्य होने से, वाद वर्णित तीनो आराजीयात नाथीया के नाम पर दर्ज हो गई तथा वादी कन्हैयालाल ने उक्त भूमि के पूर्व खातेदार नाथीया के अनपढ एवं बीमार होने का लाभ उठाकर उसे ईलाज करवाने के बहाने जीप में डालकर उदयपुर ले गया जहां वादी ने दलाल देवीलाल पिता धुला मेघवाल की

मदद से अपने नाम पर धोके से उक्त वर्णित आराजीयात की रजिस्ट्री करवायी जिसका कोई मुल्य नहीं चुकाया।

उक्त प्रकरण में वाद पत्र के जवाब प्रदर्श-8, में प्रतिवादी संख्या 2 (नाथीया की पुत्री रतनी) ने वाद का खण्डन करते हुए विक्रित भूमि का सम्पूर्ण विक्रय मुल्य नाथीया द्वारा प्राप्त किया जाना एवं मौके पर भौतिक कब्जा वादी संस्थान को सिपूर्ड किया जाना अपने वादोत्तर में अंकित किया है। इसके पश्चात वादी संस्थान द्वारा भी उक्त वाद का खण्डन किया जाकर वादोत्तर मय प्रतिवाद प्रदर्श-7, पेश किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उस प्रकरण में उक्त प्रतिवाद का कोई उत्तर नहीं दिया गया बल्कि उत्तर देने के बजाय अपने अधिवक्ता से "NO INSTRUCTION" प्लीड करा वाद खारिज करवा दिया गया एवं इस प्रकरण में भी अब अपने वादोत्तर में अपना कब्जा एवं स्वामित्व होने के आधार पर ही अपना अधिकार होना बताया है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि पर अपना विधिक हक साबित करने हेतु न तो कोई विधिक दस्तावेज पेश किया ना ही भूमि के पुश्तैनी होने सम्बन्धी कोई नकल या दस्तावेज पेश किया, केवल मात्र अपने दावे में यह कथन मात्र किया है कि रामा के परिवार के बड़े सदस्य होने से भूमि नाथीया के नाम दर्ज हुई किन्तु अपने कथन को साबित कराने हेतु कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे भूमि परिवार की पैतृक भूमि होकर परिवार का बड़ा सदस्य होने से वादग्रस्त भूमि नाथीया के नाम दर्ज होना साबित हो सके।

दोनों दावों में अंकित तथ्यों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के वादोत्तर एवं साक्ष्यों के अवलोकन से हमारा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में केवल अपने कब्जे के आधार पर ही उक्त वाद वर्णित भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा चाहता है। किन्तु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की वृहद पीठ द्वारा अपने निर्णय धन्ना और अन्य बनाम हंगामीलाल और अन्य, 2021(2)(सु. को.) 1430। व नरेन्द्र कुमार बनाम हरकरन और अन्य, आर.आर.टी. 2022(1) 507 में एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रस्तुत किये गए घोषणा के दावे को विधि विरुद्ध घोषित किया है। अतः उक्त निर्णय अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी के विरुद्ध कोई दाद प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वादी द्वारा उक्त वाद वर्णित भूमि पूर्व खातेदार नाथीया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 19.07.2003 को सम्पूर्ण विक्रय मुल्य अदा करने के पश्चात क्रय की गई एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जाकर वाद ग्रस्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज की गई, जो आज भी वादी संस्थान के नाम दर्ज है। वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयानों से वादी संस्था द्वारा उक्त वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को इस आधार पर रहने दिया जाना कि इसके बदले प्रतिवादी संख्या 1 भूमि की देखरेख करेगा, साबित होता है। किन्तु अब संस्था प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं रखना चाहती है जिससे संस्था की इच्छा के विरुद्ध

प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं होकर वाद वर्णित भूमि के भूमि के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिससे उपरोक्त विवेचन के अनुसार हमारा मानना है कि वादी वादग्रस्त आराजीयात के रेकार्डेड खातेदार है। एडवर्ड पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कब्जा किया जाना सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ठोस आधारों पर साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वादी की खातेदारी पर 30 दिवस के भीतर अपना कब्जा खाली कर वादी को सुपुर्द करे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हक हिस्से में दर्ज कब्जे काश्त राजस्व ग्राम पटवार मण्डल तीतरड़ी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खाता संख्या 54 आराजी संख्या 1355 रकबा 0.0300 हैक्टर, 1356 रकबा 0.0050 हैक्टर आराजी संख्या 1357 रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार पालना करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)

गिर्वा— उदयपुर

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्दमा 92/19 सन 2019 सीगह वाद उदयपुर हड्डी पिता श्री चुन्नीलाल जी मोची निवासी आवरी माता कॉलोनी, उदयपुर राजस्थान (1) श्री मोहन पिता स्व० उदा मेघवाल, निवासी डाकनकोटडा फला मेवडी, तहसील गिर्वा, उदयपुर राजस्थान (2) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुरवाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री नरेश जणवा व प्रतिवादी अधिवक्ता कल्पित जैन की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ठोस आधारों पर साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वादी की खातेदारी पर 30 दिवस के भीतर अपना कब्जा खाली कर वादी को सुपुर्द करे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हक हिस्से में दर्ज कब्जे काश्त राजस्व ग्राम पटवार मण्डल तीतरड़ी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खाता संख्या 54 आराजी संख्या 1355 रकबा 0.0300 हैक्टर, 1356 रकबा 0.0050 हैक्टर आराजी संख्या 1357 रकबा 0.0100 हैक्टर भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार पालना करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखेरुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस परप्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहितद्वाराको दी जाए।

यह आज तारीख माह सन् को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश

पद

वाद के खर्चे

| वादी | रुपया | पैसे | प्रतिवादी | रुपया | पैसे |
|--------------------------|-------|------|--------------------------|-------|------|
| वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | | स्टाम्प प्रार्थना पत्र | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | | प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | |
| मेहनताना वकील) पर | | | मेहनताना वकील) पर | | |
| खर्चा गवाह | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| आदेशिका की तामील | | | आदेशिका की तामील | | |
| विविध खर्चे | | | विविध खर्चे | | |
| योग | | | योग | | |